XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या–96/2010

चन्देश्वरी प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक, अपर प्राईमरी स्कूल, रूपौली गोथ, थाना– जानकी नगर, जिला– पूर्णियाँ .....
आवेदक

बनाम्

1. राज्य
2. ओम प्रकाश भगत, पिता–कमलेश्वरी प्रसाद
3. देव प्रकाश भगत, पिता–कमलेश्वरी प्रसाद

साकिन– रूपौली गोथ, थाना–जानकीनगर, जिला– पूर्णियाँ .....
विपक्षी

आदेश

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा नामान्तरण अपील वाद संख्या–25/2006–07 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–रूपौली, थाना नं0–335, खाता नं0–153 M, खेसरा नं0–982 M, रकवा–01 एकड़ जमीन का भूस्वामी कमलेश्वरी भगत विपक्षी के पिता थे। गाँव में विद्यालय की स्थापना के लिये ग्रामीणों के अनुरोध पर भूस्वामी कमलेश्वरी भगत ने उपरोक्त जमीन मौखिक रूप से विद्यालय खोलने के लिये दान दिया। विद्यालय से संबंधित कागजात से स्पष्ट है कि विद्यालय वर्ष 1960 में खुला था। विद्यालय के पास उपरोक्त जमीन के दान पत्र का कोई स्पश्ट प्रमाण नहीं था। किन्तु विधान सभा के लोक लेखा समिति के निदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–1844/2003–04 द्वारा उपरोक्त जमीन का नामान्तरण प्राथमिक विद्यालय, रूपौली गोथ के नाम पर हुआ। अंचलाधिकारी के इस नामान्तरण आदेश के विरूद्ध विपक्षी भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद संख्या–19/2004–05 दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा वाद को पुनः सुनवाई हेतु अंचलाधिकारी को वापस भेजा गया। अतः आवेदक ने नामान्तरण अपील वाद संख्या–25/2006–07 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता के न्यायालय में दायर किया। भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा वास्तविक तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए अंचलाधिकारी द्वारा नामान्तरण वाद संख्या–1844/2003–04 में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त जमीन का उपयोग बच्चों के खेल मैदान तथा अन्य उपयोग के लिये हो रहा है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी का कथन है कि मौजा–रूपौली, खाता नं0–153, खेसरा नं0–982 का कुल रकवा– 07.88 एकड़ है, जो उनके पिता स्व0 कमलेश्वरी भगत के नाम दर्ज था। भू–हदबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन धारा–5 भू–हदबन्दी के जिला गजट–13, दिनांक 16.08.1986 द्वारा भूस्वामी को प्राप्त हुआ। विपक्षीगण उपरोक्त जमीन का

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

मालगुजारी भी भुगतान कर रहे है। आवेदक विद्यालय को उच्च स्तरीय (Upgrade) बनवाने के लिये गलत तरीके से प्रश्नगत जमीन का नामान्तरण करवा कर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। उल्लेखनीय है कि विद्यालय का गलत दस्तावेज के आधार पर अपग्रेडेशन करवाने के आलोक में विपक्षी ने इस न्यायालय को आवेदन दिया था और उक्त आवेदन के आधार पर अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ भी प्रतिवेदित किये कि विद्याालय के नाम जमीन के नामान्तरण में वास्तविक रूप से जाँच नहीं की गयी। निम्न न्यायालय द्वारा स्थल एवं साक्ष्य का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया, जो विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षी इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन करते हुए उचित न्याय करने की कृपा की जाय।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 23.09.2011 को सुनवाई की गयी। पुनः दिनांक 25.11.2011 को सुनवाई हेतु रखा गया। आवेदक का कहना है कि विवादित जमीन प्राथमिक विद्यालय, रूपौली गोठ, थाना–जानकीनगर के लिये दान में प्राप्त हुआ है। बिहार विधान सभा के लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में भी इससे संबंधित जिक्र है। लोक लेखा समिति के द्वारा निदेश प्राप्त है कि विद्यालय के नाम पर इसका दाखिल–खारिज किया जाय। विद्वान भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बनमनखी के द्वारा अंचलाधिकारी को सुनवाई कर निर्णय लेने का निदेश अपील वाद में दिया गया, परन्तु वास्तविक दखल–कब्जा को नजर अन्दाज करते हुए अंचलाधिकारी के द्वारा विपक्षी के नाम दखल–कब्जा कर दिया गया। उक्त जमीन पर पूर्व से ही सरकारी विद्यालय चल रहा है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विद्यालय इस विवादित जमीन पर चलने की बात गलत है। विवादित जमीन परती है। उक्त जमीन पर विद्यालय के छात्र–छात्रा द्वारा खेल मैदान के रूप में उपयोग करने की बात से विपक्षी ने स्वीकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद स्पष्ट है कि उनके द्वारा वास्तविक दखल–कब्जा का पूर्ण रूप से नजर अन्दाज किया गया है। अतः अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए आवेदक के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार यह वाद समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ